न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :— 54/2018

उनवान

1 सांवरमल
2 बनवानी लाल
3 विकम सिंह
4. मदनलाल
} पि0 भागीरथ

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम लोबडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1 गणेश
2 पप्पू
3 जयरुाम
} पि0 सुवा

4 श्रवण देवी पुत्री सुवा पत्नी गिरधारीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम अजमेरी तह0 नीमकाथाना सीकर
5 सूजा पुत्री सुवा पत्नी द्वारका प्रसाद जाति बलाई निवासी बुनकर मौह0अजीतगढ तह0 श्रीमाधोपुर
6 सुरेश
7 अमराव
} पि0 रामदेव

जाति बलाई निवासी ग्राम अजमेरी तह0 नीमकाथाना सीकर

8 परमानन्द
9 किशन
10 विनोद
11 राकेश
} पि0 बद्रीप्रसाद

12 पूजा पुत्री बद्रीप्रसाद
13 बद्रीप्रसाद पुत्र भैरूलाल
जाति बलाई निवासी अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर
14 कौशल्या देवी पुत्र बद्रीप्रसाद पत्नी अमरपाल
15 सुशी पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी अशोकि
समस्त जाति बलाई निवासी बुनकर मौहल्ला वार्ड नं0 4 शाहपुरा तहसील शाहपुरा
16 उप पंजीयक शाहपुरा
17 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
18 एस बी आई बैंक शाखा शाहपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक शाहपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री दीपक शर्मा एडवोकेट वादी**

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 21.5.22

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2694 रकबा 0.61 है0, ख0नं0 2695 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 2696 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 2772/2879 रकबा 0.28 है0, कुल किता 4 रकबा 1.56 है0 वाके ग्राम लोबडावास तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादिगण व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त सहखातेदारी भूमि स्थत है । वादीगण का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा खातेदारी मं दर्ज है प्रतिवादी सं0 1 लगा0 15 के बुजुर्ग सुवा पुत्र मंगला जाति बलाई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सुवा पुत्र मंगला का 7–8 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है प्रतिवादीगण सं0 1 से 15 मृतक सुवा के वारिसान है जो उसके हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। मृतक सुवा के 3 पुत्र प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 तथा 4 लडकिया कमशः श्रवणदेवी, सुजा, पतासी व सगरी देवी पैदा हुई है जिनमें से पतासी देवी व सागरी देवी का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी सं0 6 व 7 सगरी देवी तथा प्रतिवादी सं0 8 से 15 पतासी देवी के वारिसान है। सुवा ने अपनी जीवन काल में ख0नं0 2772/2879 में तीन पुख्ता मकान बनाये थे वर्तमान में उक्त तीनो मकान में सुवा के पुत्र गणेश,

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

पप्पू व जयराम अलग अलग निवास कर रह रहे है, तथा सुवा के वारिस ही काबिज है ।ख0नं0 2694, 2695 व 2696 की भूमि के बीच में से वर्तमान में डामर रोड बना हुआ है जिसका अंकन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने नक्शा ट्रेस में नहीं कर रखा है, ,ख0नं0 2694, 2695 व 2696 की रोड की भूमि को छोडकर शेष भूमि पर वर्तमान मे वादीगण काबिज काश्त है। वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार ही शामिल में कब्जे काश्त करते आ रहे है तथा कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई और उन्होने वादीगण के खिलाफ एवं नाजायज संगठन बना लिया है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गया है तथा विशिष्ठ भू भाग पर निर्माण कार्य करने व वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण ने अपने परिवार के साथ उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे तथा विशिष्ट व उपजाऊ भूमि को बेचना जाहिर किया तथा एलानिया धमकी दी कि लठैत व्यक्तियों को बैचान करके तुम्हे बैदखल करेगें तथा निर्माण कार्य भी करके रहेगें । इस कारण वादीगण ने उक्त आराजीयात का कानूनी बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किया जाकर लगान निर्धारण हेतु यह वाद पत्र पेश किया गया है। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का कब्जे काश्त के अनुसार तथा रोड की भूमि को घटाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर राजस्व बोर्ड के नियमो के अनुार कानूनी बंटवारा करवाया जाकर राज लगान अलग अलग निर्धारित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें ।

2. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई ।प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 की ओर से दिनांक 30.11.2018 को श्री मातादीन अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 4 से 15 की रजिस्ट्रड तलबी के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 13.2.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रतिवादी सं0 1 से 3 की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प देवन में दिनांक 26.10.2021 को प्रकरण में प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे कास्त को मध्यनजर रखते हुए राजस्व मण्डल के नियमों के अनुरूप कुर्रेजात रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमंक 796 दिनांक 10.3.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई । तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को रिकार्ड पर लिया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया । प्रतिवादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति होना जाहिर किया लेकिन कोई आपत्ति पेश नहीं की तथा दिनांक 21.4.2022 को प्रकरण में पैरवी नहीं करना जाहिर किया जबकि प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है।

3 दिनांक 21.4.22 को उभय पक्ष को सुना गया । वकील प्रतिवादी ने प्रकरण में पैरवी नहीं करना जाहिर किया गया । वकील वादीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पैरवी नहीं करना जाहिर कर रहे है जबकि पूर्व में भी कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है, प्रतिवादी जानबूझ कर प्रकरण का निस्तारण नहीं चाहने से ऐसा किया जा रहा है जबकि बंटवारा रिपोर्ट बोर्ड के नियमों के अनुसार कब्जे कास्त व रास्ता आदि को ध्यान में रखकर तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्रेषित की गई है, जिसे अन्तिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया है।

4 हमने वकील वादीगण की बहस सुनी । वकील वादीगण की बहस से हम सहमत है कि प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा तथा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा प्रकरण के निस्तारण के अन्त समय में प्रकरण में पैरवी नहीं करना जाहिर किया गया है जबकि प्रतिवादीगण का सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा बंटवारा रिपोर्ट के अवलोकन से भी बंटवारा रिपोर्ट बोर्ड के नियमों के अनुरूप तथा रास्ता आदि को मध्यनजर रखते हुए पेश की गई है। प्रतिवादीगण प्रकरण के निस्तारण में देरी करने या प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देने की मंशा से प्रकरण में उपस्थित नहीं आ रहे है । बंटवारा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति भी पेश नहीं कर रहे है । इस प्रकार प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है कि :–

1. सांवरमल पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , बनवारीलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , विक्रमसिंह पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , मदनलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा के हिस्से में ,ख0नं0 2694/3 रकबा 0.19 है0, 2694/4 रकबा 0.2750 है0, ख0नं0 2695/2 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2695/3 रकबा 0.1350 है0, ख0नं0 2696/2 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 2696/3 रकबा 0.20 है0, कुल किता 6 रकबा 1.08 है0 भूमि रहेगी ।
2. सुवा पुत्र मंगला हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 2772/2879 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2694/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 रकबा 0.36 है0 भूमि रहेगी ।
3. सांवरमल पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , बनवारीलाल पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , विक्रमसिंह पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , मदनलाल पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा व सुवा पुत्र मंगला हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा के हिस्से में ,ख0नं0 2694/1 रकबा 0.0650 है0 2695/1 रकबा 0.0250 है0, 2696/1 रकबा 0.0300 है0 भूमि शामलाती में किस्म गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक: 21.4.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस
वाद संख्या :– 54/2018

उनवान

सांवरमल
बनवानी लाल
विकम सिंह
मदनलाल
} पि0 भागीरथ

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम लोबडावास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

गणेश
पप्पू
जयराम
} पि0 सुवा

श्रवण देवी पुत्री सुवा पत्नी गिरधारीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम अजमेरी तह0 नीमकाथाना सीकर
सूजा पुत्री सुवा पत्नी द्वारका प्रसाद जाति बलाई निवासी बुनकर मौह0अजीतगढ तह0 श्रीमाधोपुर

सुरेश
अमराव
} पि0 रामदेव

जाति बलाई निवासी ग्राम अजमेरी तह0 नीमकाथाना सीकर

परमानन्द
किशन
0 विनोद
1 राकेश
} पि0 बद्रीप्रसाद

12 पूजा पुत्री बद्रीप्रसाद
13 बद्रीप्रसाद पुत्र भैरूलाल
जाति बलाई निवासी अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर
14 कौशल्या देवी पुत्र बद्रीप्रसाद पत्नी अमरपाल
15 सुशी पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी अशोकि
समस्त जाति बलाई निवासी बुनकर मौहल्ला वार्ड नं0 4 शाहपुरा तहसील शाहपुरा
16 उप पंजीयक शाहपुरा
17 राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
18 एस बी आई बैंक शाखा शाहपुरा जरिये शाखा प्रबन्धक शाहपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री दीपक शर्मा एडवोकेट वादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 21.5.22

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

1. सांवरमल पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , बनवारीलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , विकमसिंह पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , मदनलाल पुत्र भागीरथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा के हिस्से में ,ख0नं0 2694/3 रकबा 0.19 है0, 2694/4 रकबा 0.2750 है0, ख0नं0 2695/2 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2695/3 रकबा 0.1350 है0, ख0नं0 2696/2 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 2696/3 रकबा 0.20 है0, कुल किता 6 रकबा 1.08 है0 भूमि रहेगी ।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

सुवा पुत्र मंगला हि0 पूर्ण जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 2772/2879 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 2694/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 2 रकबा 0.36 है0 भूमि रहेगी ।

3 सांवरमल पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , बनवारीलाल पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , विकमसिंह पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा , मदनलाल पुत्र भागीरथ हि0 3/16 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा व सुवा पुत्र मंगला हि0 1/4 जाति बलाई सा0 देह खातेदार रहिन हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा शाहपुरा के हिस्से में ,ख0नं0 2694/1 रकबा 0.0650 है0 2695/1 रकबा 0.0250 है0, 2696/1 रकबा 0.0300 है0 भूमि शामलाती में किस्म गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस ाय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई धाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी ार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व भोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल ामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 21.5.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

ाद के खर्चे

ादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल		जोड़	
जोड़			